न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–32/2018/भीलवाड़ा (2018/00032)

1. सेवा सदन संस्थान,भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा जरिये अध्यक्ष सूचरजमल सोमानी पुत्र श्री श्याम सुन्दर सोमानी जाति सोमाणी,भीलवाडा

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्धान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा दिनांक 31.01.2018 अंतर्गत अपील संख्या 658/2012

उपस्थितः–

1. श्री एम0एल0गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. श्री भरत गुर्जर,अभिभाषक अपीलांट रेस्पो उदपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 29.01.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ग्रम ओडो का खेडा में खातेदारी की आराजी खसरा न0 102/1 रकबा 7 बीघा स्थित है जो अपीलांट संस्था को आराजी न0 102 में से जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश दिनांक 31.05.1991 से खेल मैदान/भवन निमार्ण हेतु आंवट्टित हुई जिसका विलेख 10.07.1991 को निष्पादित होकर दिनांक 16.07.1991 को पंजीकृत करवाया गया ।उक्त आराजी न0 102 में से 7 बीघा रकबा आवंट्टित किया गया उसका विभाजित रकबा 102/1 अंकित किया जाकर तदनुसार मौके पर कब्जा सुपूर्द किया गया एंव विलेख में पडौस क्रमश परिश्चम दिशा में सटी हुई अपीलांट संस्था को पहले से ही आवंट्टित आराजी जो कि राजस्थव ग्राम भीलवाडा सरहद की आराजी न0 2617 रकबा 6बीघा 5 बिस्वा व 2672 3 बीघा 7 बिस्वा स्थित है जो भी प्रार्थी संस्था को साबिक आराजी न0 2652 में से दिनांक 29.11. 1967 को खेल मैदान हेतु आवंट्टित भूमि है । दोनो राजस्थ ग्रामों की

आराजीयात जो अपीलांट को आवंटित हुई है व सम्मिलित एक चक के रूप में होकर उसी अनुसार कब्जा है एंव उसी अनुसार चार दीवारी भी करवायी गयी है । लेकिन माफिक हाल नक्शा ट्रेस में आराजी न 102 को विभाजित कर जिस अनुरूप अपीलांट के कब्जे वाली आराजी राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार दर्शाया गया वह लिपिकिय/अंकन त्रृटि है । वास्तविक तौर पर अपीलांट को राजस्व ग्राम भीलवाडा की साबिक आराजी नप0 2652 जिसके हाल न0 2671 व 2672 कायम हुए उससे सटी हुई 7 बीघा आराजी ही संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार आवंटित हुई इसलिए तदनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्त हेतु निवेदन किया ताकि पक्षकार के मध्य उत्पन्न विवाद समाप्त हो जाता और इससे रेस्पो0 के अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर निर्णय प्रदान करने में भूल की है । xx

2- अपीलांट संस्था को पहले से आवंटित आराजी खसरा न0 2671 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा व 2672 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा है जो अपीलांट संस्थान को साबिक खसरा न0 2652 में से खेल मैदान हेतु आवंटनशुदा भूमि है और अपीलांट को उक्त आराजी खसरा न0 2674 व 2672 जो त्रिभुज आकार में थी उसी से लगती हुई ग्राम ओडो का खेडा की सरहद में स्थित आराजी न0 102 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा में सटी हुई 7 बीघा अपीलांट के कब्जे में चली आ रही थी जिसे सन 1967 में साबिक आराजी न0 2652 के आवंटन के समय राजस्व नक्शा में अपीलांट के कब्जा में दर्शाते हुए पैमूद की गई थी और वह अपीलांट को आंवटन की गई जिससे दोनों सरहद में स्थित आराजी संयुक्त रूप से आयताकार रूप में होकर एक चक के रूप में अपीलांट स्कूल के खेल मैदान के लिए उपयोग में आ रही है और संस्था द्वारा काफी पैसा खर्ज कर चारदीवारी एंव कमरा आदि का निर्माण करवाया गया । इस कारण अपीलांट राजस्थ्व रिकार्ड में तरमीम कराने का अधिकारी है जिसके लिए राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती हेतु विपक्षी को निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा इस त्रृटि को सुधार का अधिकार लैण्ड रिकार्ड अधिकार का होना बताया तथा दुरूस्ती नहीं की इस यह विद्धान अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कब्जा सुपर्द करते समय राजस्व कर्मचारियों ने उसकी तरमीम नहीं कि जिसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है । प्राथी संस्थान को दिनांक 19.9.2012 को विपक्षी द्वारा एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91एल आर एक्ट के तहत इस आशय का जारी किया गया कि प्रार्थी संस्था का आराजी संख्या 102 ग्राम ओडो का खेडा की 5 बीघा जमीन पर अतिचार है जबकि प्रार्थी संस्था ने विपक्षी के समक्ष उपस्थित होकर आराजी संख्या 102 में से आवंटित 7 बीघा भूमि का आदेश व जमाबंदी प्रस्तुत की तब प्रार्थी को तहसील कार्यालय की पत्रावली से यह बताया किया कि हाल राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की आराजी संख्या 102/1 को जिस प्रकार दर्शाया गया है उसके अनुसार प्रार्थी की आराजी संख्या 2671 व 2672 राजस्व ग्राम भीलवाडा के आराजी संख्या 102 बिलानाम भूमि को दर्शा रखा हे जबकि प्रार्थी को सन् 1967

से ही एंव सन् 1991 में जब आराजी संख्या 102 में से 07 बीघा आंवटित की उसके बाद ही दोनों राजस्व ग्रामों की भूमियां जो प्रार्थी को आवंटित की हुई है व सम्मिलित एक चक के रूप में होकर उसी अनुसार कब्जा एंव उसी अनुसार चार दिवारी भी करवाई हुई है । अपीलांट ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया । प्रार्थी को बिनाय प्रार्थना पत्र विपाक्षी द्वारा जारी नोटिस दिनांक 19.9.2012 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में आराजी संख्या 102/1 को वर्तमान में दर्शित स्थिति के बजाय प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शायी गई रेखांकित स्थिति के अनुसार सुधार किया जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे । xx

3- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल प्राप्त हुए । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अभिभाषक उपस्थिति में प्रकरण में उभयपक्षीय बहस सुनी गई । xx

4- अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विलेख में अंकित आसा पासा के मुताबिक मौका जांच कर पुर्न निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे । xx

5- रेस्पोडेन्ट अभिभाषक का मुख्य तर्क यह था कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे । xx

6- अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी में अपीलांट सेवा सदन संस्थान भीलवाडा जरिये अध्यक्ष श्री श्याम सुन्दर पुत्र मथुरा लाल जाति सोमानी निवासी भीलवाडा के दिनांक 30.04. 2018 के फौत होने से विधिक अध्यक्ष सूरजमल सोमानी पुत्र श्याम सुन्दर सोमानी को राईट टू स्यु सरवाईव को रिकार्ड पर लिये जाने की प्रार्थना दिनांक 19.01.2019 को स्वीकार की जा चुकी हैं । xx

7- हमने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की उपभयपक्षीय बहस दौराने अपीलमीमो में उल्लेखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मनन व अवलोकन किया । xx

8- हमने अपीलांट अभिभाषक के तर्क का सुक्ष्मता से मनन किया यह सही है कि विवादित आराजियात ग्राम ओडो का खेडा,पटवार हल्का हरर्णीकला तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमांबदी की नकल सम्वत् 2066 से 2069 से होती है । विलेख पत्र में आराजी नम्बर 102 में से रकबा 7 बीघा भूमि जिसके पडौस में पूर्व में आम रास्ता एंव मकबूजा खेत,उत्तर में नाला एंव भीलवाडा सरहद भूमि,पश्चिम में सेवा सदन की भूमि एंव दक्षिण में सरकारी पडत समीन है को विहित शर्तो के तहत सेवा सदन, भीलवाडा संस्था को खेल मैदान/भवन निमार्ण हेतु जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश

12–3(ब)16/बारह/90 दिनांक 31.5.91 को आंवटित की जाकर पटवारी द्वारा आरक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत से 2800 रूपये रसीद संख्या 39801 जमा होने से सेवा सदन अध्यक्ष के साथ मौके पर पहुंच कर 20.06.1991सुपुर्द की गई जिसका की नामान्तरकरण 03.08.91 को स्वीकृत हुआ । जबकि हाल आराजी नम्बर 2671 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा,2672 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम गै0मु0मैदान व गौ0मु0 खेलमैदान के दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2068–71 से होती है प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार विवादित आराजियात प्रार्थी को खेल मैदान हेतु आंवटन हुई । आंवटन के पश्चात् से ही प्रार्थी काबिज होकर आराजी नम्बर 102 रकबा 7 बीघा का उपयोग–उपभोग कर रहा है जबकि आवंटित भूमि का खसरा संख्या 102/1 था इस प्रकार अपीलांट गलत खसरा संख्या पर काबिज है । उकत विवादित भूमि के पश्चिम में सेवा सदन की आराजी की भूमि है चूंकि पूर्व खसरा संख्या 102 के विभाजित भाग 102/1 रकबा 7 बीघा एंव 102 रकबा क्रमश 7 बीघा 14 बिस्वा हुआ है । नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 09.08.91 के द्वारा खसरा संख्या 102/1 रकबा 7 बीघा अपीलांट के नाम स्वीकृत हुआ किन्तु नक्शा चित्रण नामान्तरकरण की पृष्ट भाग पर अंकित नहीं है साथ ही नक्शा तरमीम भी संलग्न नहीं है जिसे बाद में तरमीम किये जाने से नक्शे में खसरा संख्या अंकन व तरमीम किये जाने में त्रृटि रही है । नकशा तरमीम में अपीलार्थी के पश्चिम से लगती भूमि के बीच सरकारी भूमि 102 का अंकन कर दिया गया जबकि खसरा संख्या 102/1 रकबा 7 बीघा की तरमीम होनी चाहिए थी । यहां उल्लेखनीय है कि विद्धान उपखण्ड अधिकारी ने भी वर्तमान तरमीम 102/1 भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होना बताया है । हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत है कि विलेख पत्र में आसा पासा के अनुसार नक्शा तरमीम में त्रृटि की गई है जबकि पटवारी द्वारा दिनांक 20.069.1991 को कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट के अनुसार ही अपीलांट काबिज है एंव संस्था द्वारा काफी पैसा खर्ज कर चारदीवारी एंव कमरा आदि का निर्माण करवाया जा चुका है । उपरोक्त विचेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2018 अपास्त होकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है कि प्रकरण में दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण कर मौका जांच करें तथा उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियत अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें । xx

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 32/2018 (2018/00032) बउनवानी सेवा सदन संस्थान भीलवाडा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,भीलवाडा को आंशिक स्वीकार किया जाकर विद्धान उपखण्ड

अधिकारी, भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 658/2012 बउनवान सेवा सदन संस्थान भीलवाडा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के उक्त प्रकरण आब्जरवेशन के क्रम में पुर्न जांच कर नक्शे में लिपिकीय त्रृटि/अंकन में धारा 136 पर यथायोग्य निर्णय पारित किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.16 10:34:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: